भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद /Atomic Energy Regulatory Board

नियमक भवन /Niyamak Bhavan,
अणुशक्तिनगर /Aushaktinagar,
मुंबई /Mumbai-400094.

Ref: AERB/NG/426/2021/ 918 अप्रैल April 29, 2022

आदेश ORDER

जबकि, श्री एस. अजीश, वैज्ञानिक सहायक/सी, कर्म.सं. 426, आरएसडी, एईआरबी को निम्नलिखित दोषारोपण के लिए सीसीएस नियम, 1965 के नियम 14 के तहत दिनांक 19.02.2021 को चार्जशीट ज्ञापन सं. एईआरबी/एनजी/ 426/2021/ 398 जारी की गयी थी। WHEREAS a Charge sheet Memorandum No. AERB/ NG/426/2021/398 dated 19.02.2021 under Rule 14 of the CCS Rules, 1965 was issued to Shri S. Ajeesh, Scientific Assistant/C, Emp. No.426, RSD, AERB for the following charge:

"श्री अजीश वैज्ञानिक सहायक/सी के रूप में कार्य करते हुए अक्टूबर, 2018 से अनिरंतर रूप से अपनी ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे थे और दिनांक 06.11.2019 से लगातार आज तक अनुपस्थित रहे। पूर्वोक्त कृत्य के माध्यम से उक्त श्री अजीश अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी प्रदर्शित की थी और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 (ii) और (iii) के प्रावधानों के विपरित एक सरकारी कर्मचारी के अशोभनीय तरीके का व्यवहार किया था। "Shri Ajeesh while functioning as Scientific Assistant/C had remained on unauthorized absence from duty intermittently from October, 2018 and continuously w.e.f 06.11.2019 to till date. By the aforesaid act, the said Shri Ajeesh had exhibited lack of devotion to duty and behaved in manner unbecoming of a Government Servant in contravention to the provisions of Rule 3 (ii) & (iii) of CCS (Conduct) Rules, 1964".

2. और जबकि, दिनांक 19.02.2021 के ज्ञापन युक्त लिफाफे को श्री अजीश के पास उनके प्रभाग प्रमुख के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा मुंबई के उनके स्थानीय पते और केरल के उनके स्थायी पते पर भेजा गया था। ज्ञापन वाले उक्त लिफाफे को डाक प्राधिकारी द्वारा बिना सुपुर्द किए लौटा दिया गया था। दिनांक 19.02.2021 के ज्ञापन की एक प्रति को एईआरबी की वेबसाइट पर डाल दी गई थी। AND WHEREAS the covers containing the Memorandum dated 19.02.2021 was sent to Shri Ajeesh, through his Head of the Division and through Registered Post to his local address in Mumbai and his permanent address in Kerala. The said covers containing the Memorandum were returned undelivered by the postal authority. A copy of the Memorandum dated 19.02.2021 was placed on AERB Website.

3. और जबकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की सूचना मुंबई के स्थानीय समाचार पत्र (इंडियन एक्सप्रेस) और केरल के क्षेत्रीय समाचार पत्र (मातृभूमि) में दिनांक 02.07.2021 को प्रकाशित की गई थी। श्री अजीश को निर्देश दिया गया था कि वे दिनांक 19.02.2021 के उक्त ज्ञापन को प्रशासनिक अधिकारी-III, एईआरबी, मुंबई से सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर प्राप्त करें। श्री अजीश ने निर्धारित अवधि के भीतर अपना लिखित बचाव-बयान प्रस्तुत नहीं किया। AND WHEREAS notice regarding initiation of disciplinary proceedings was published in local newspaper in Mumbai (Indian Express) and regional newspaper in Kerala (Matrubhumi) dated 02.07.2021. Shri Ajeesh was directed to collect the aforesaid Memorandum dated 19.02.2021 from Administrative Officer-III, AERB, Mumbai, within 10 days from the date of publishing the notice. Shri Ajeesh did not submit his written statement-of-defence within the stipulated period.

4. और जबकि, उक्त श्री अजीश के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया गया था और तदनुसार दिनांक 22.07.2021 के आदेश संख्या एईआरबी/प्रशासन/2021/1568 के तहत श्री के. वेंकट सुब्रमणियन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एईआरबी को जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक 22.07.2021 के आदेश संख्या. एईआरबी/प्रशासन/2021/1569 के तहत अधोहस्ताक्षरी की ओर से श्री बी. मोहन कुमार, स.का.अ., एईआरबी को मामले को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था । AND WHEREAS an Inquiry was ordered into the charges framed against the said Shri Ajeesh and accordingly Shri K. Venkat Subramanian, Chief Administrative Officer, AERB was appointed as the Inquiring Authority vide order no.AERB/Admn/2021/1568 dated 22.07.2021 and Shri B. Mohan Kumar, APO, AERB was appointed as Presenting Officer for presenting the case on behalf of the undersigned vide order no. AERB/Admn/2021/1569 dated 22.07.2021.

5. और जबकि, जांच प्राधिकारी ने एक - पक्षीय जांच की। जांच प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में एकतरफा जांच करने के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है: AND WHEREAS the Inquiring Authority conducted the inquiry ex-parte. Inquiry Authority in his report has mentioned following reasons for conducting the inquiry ex-parte:

i) श्री एस. अजीश जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की सूचना के अनुपालन करने में विफल रहे; Shri S. Ajeesh failed to comply with the notice to appear in person before the Inquiry Authority;

ii) वह कार्यालय को सूचित किए बिना फरार हो गए है He has been absconding without intimating the office;

iii) उनका ठिकाना एवं उनकी गतिविधियों के बारे में कार्यालय को जानकारी नहीं है His whereabouts, his movements are not known to office;

iv) वह पत्राचार के लिए अपने नवीनतम निवास पते के बारे में कार्यालय को सूचित करने में विफल रहे। He failed to intimate office about his latest residence address for communication.

जांच प्राधिकारी ने दिनांक 16.02.2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि श्री अजीश के विरूद्ध अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में लगाए गए **आरोप साबित होते हैं।** The Inquiry Authority has submitted his report dtd.16.02.2022 stating that the charges levelled against Shri Ajeesh regarding unauthorized absence **stand proved.**

6. और जबकि, उक्त श्री अजीश को जांच रिपोर्ट की एक प्रति दिनांक 15.03.2022 के पत्र सं. एईआरबी/ एनजी/ 426/ 2022/ 646 के साथ उनके अभ्यावेदन/प्रस्तुतीकरण, यदि कोई हो के लिए उनके मुंबई के स्थानीय पते एवं केरल में उनके स्थायी पते पर भेज दी गई है। जांच रिपोर्ट वाले कवर जो 15.03.2022 को अग्रेषित की गई थी वह डाक प्राधिकारियों द्वारा वापस आ गयी थी। AND WHEREAS a copy of the Inquiry Report was forwarded to the said Shri Ajeesh vide letter no. AERB/NG/426/2022/646 dated 15.03.2022 for his representation/ submission, if any, to his local address in Mumbai and his permanent address in Kerala. The covers containing the inquiry report forwarded on 15.03.2022 were returned by the Postal Authorities.

7. और जबकि, उक्त श्री अजीश को जांच रिपोर्ट की एक प्रति के साथ – साथ पत्र को दिनांक 15.03.2022 के पत्र संख्या एईआरबी/ एनजी/ 426/ 2022/ 646 के माध्यम से उनके अभ्यावेदन/ प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, के लिए भेज दी गई थी तथा एईआरबी की वेबसाइट पर डाल दी गई थी। AND WHEREAS a copy of Inquiry Report along with the letter sent to the said Shri Ajeesh vide letter no. AERB/NG/426/2022/646 dated 15.03.2022 for his representation/submission, if any was placed on AERB website.

8. और जबकि, उक्त श्री अजीश ने आज तक जांच रिपोर्ट के विरुद्ध कोई लिखित निवेदन/ प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। AND WHEREAS the said Shri Ajeesh has not submitted any written submission/representation against the Inquiry Report till date.

9. और जबकि, अधोहस्ताक्षरी जांच प्राधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच आयोजित करने के लिए दिनांक 16.02.2022 की उनकी जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत स्पष्टीकरण से सहमत हैं। श्री अजीश को जांच में भाग लेने का यथोचित अवसर प्रदान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी श्री अजीश के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के अनुच्छेद पर जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमत हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री अजीश वैज्ञानिक सहायक / सी के रूप में कार्य करते हुए अक्टूबर, 2018 से अनिरंतर रूप से और दिनांक 06.11.2019 से लगातार आज तक ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उक्त कृत्य के माध्यम से, उक्त श्री अजीश ने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की कमी का प्रदर्शन किया था और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 (ii) और (iii) के प्रावधानों के उल्लंघन में एक सरकारी कर्मचारी के अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया था और यदि श्री एस. अजीश पर सरकारी सेवा से **निष्कासित** करने का दंड लगाया जाता है, तो इससे न्यायिक उद्देश्य पूरा होगा। AND WHEREAS the undersigned agrees with the justification submitted by the Inquiry Authority in his Inquiry report dtd.16.02.2022 for conducting the inquiry ex-parte. Reasonable opportunities have been given to Shri Ajeesh to participate in the inquiry. The undersigned agrees with findings of Inquiry Authority on the Article of charges made against Shri Ajeesh and comes to the

conclusion that Shri Ajeesh while functioning as Scientific Assistant/C remained on unauthorized absence from duty intermittently from October, 2018 and continuously w.e.f 06.11.2019 to till date. By the aforesaid act, the said Shri Ajeesh had exhibited lack of devotion to duty and behaved in a manner unbecoming of a Government Servant in contravention to the provisions of Rule 3 (ii) & (iii) of CCS (Conduct) Rules, 1964 and ends of justice will be met with, if the penalty of **Removal** from Government Service is imposed on Shri S. Ajeesh.

10. अतः अब, अधोहस्ताक्षरी ने केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (बी) के तहत तथा दिनांक 16.05.2013 के परमाणु ऊर्जा विभाग आदेश संख्या .1/6/(2)/2009/Vig./6413 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त श्री एस. अजीश को सेवा से **हटाने** का दंड आरोपित करता है। यह भी आदेश दिया जाता है कि श्री अजीश के संबंध में अक्टूबर, 2018 और 06.11.2019 से लगातार अब तक की अनाधिकृत अनुपस्थिति की निम्नलिखित अवधि जिसे अब तक छुट्टी के रूप में नियमित नहीं किया गया है को "अकार्य - दिन" माना जाएगा। NOW THEREFORE, the undersigned in exercise of the powers conferred on him under clause (b) of Sub Rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965 read with Department of Atomic Energy Order No.1/6/(2)/2009/Vig./6413 dated 16.05.2013 hereby imposes the penalty of **Removal** from Service on the said Shri S. Ajeesh. It is further ordered that the following period of unauthorized absence in respect of Shri Ajeesh intermittently from October, 2018 and continuously w.e.f 06.11.2019 to till date which has not been regularized as leave so far shall be treated as "dies-non".

माह एवं वर्ष /Month & Year	तारीखें /Dates
अक्टूबर October 2018	05, 15, 22, 23, 24, 29, 30, 31
नवंबर November 2018	1, 2, 13, 14, 15, 16, 26, 29, 30
दिसंबर December 2018	3, 7, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 27, 28
जनवरी January 2019	1, 4, 10, 16 to 23, 28, 29, 30
जनवरी 2019 – अर्ध दिवस January 2019 - Half day	2 & 31
फरवरी February 2019	06, 07, 08, 14, 15, 18, 26, 28
16th May 2019 to 15th सितंबर September 2019	
06th नवंबर November 2019 to Till Date	

11. श्री एस. अजीश को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, एईआरबी, जो अपील प्राधिकारी हैं के पास अपील कर सकते हैं। अपील, यदि कोई हो,को इस आदेश के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। Shri S. Ajeesh is informed that an appeal against the above order lies with Chairman, AERB, the Appellate Authority. The appeal, if any, should be preferred within a period of 45 (Forty Five) days from the date of issue of this order.

(सी.एस. वर्गिस C.S. Varghese)
कार्यकारी निदेशक एवं & Executive Director &
अनुशासनात्मक प्राधिकारी Disciplinary Authority

श्री एस. अजीश Shri S. Ajeesh
वै.स./सी, कर्म.सं. 426, एईआरबी SA/C, Emp. No.426, AERB
फ्लैट सं.1303, सेरेना, सी- टावर Flat No.1303, Serena, C-Tower,
लोधा कासा बेला, डोंबिवली (पूर्व) Lodha Casa Bella, Dombivili (E)
थाणे Thane – 421 204.

श्री एस. अजीश Shri S. Ajeesh
वै.स./सी, कर्म.सं. 426, एईआरबी SA/C, Emp. No.426, AERB
थोडियाल पदिनजत्ताथिल, पिनाकल Thodiyal Padinjattathil, Pinackal
वालाथुंगल पो. कोल्लम Valathungal P.O. Kollam,
केरला Kerala – 691 018.